

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री गयादत्त मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में थाना को० खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 693/20 धारा 363/366/342/354 (B)/323 भा०द०वि० व 7/8/16/17 पाक्सो एक्ट व 3 (ii)(v)एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त नाम पता मो० वसीम पुत्र मो० अयूब निवासी करौता घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 23.11.2020 को वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला अपराध की संवेदनशीलता के तहत आज दिनांक 05.01.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी नवीन मण्डी उ०नि० श्री अनिरुद्ध सिंह, का० निलेश शुक्ला, का० अमरजीत यादव।

मारपीट व जानमाल की धमकी के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के प्रभावी रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में के तहत महुली पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 336/20 धारा 452 / 323 / 504 / 506 / 427 भादवि व मु०अ०सं० 394/20 धारा 323/504/506/452 भा०द०वि० में वांछित अभियुक्त सुशील मिश्रा पुत्र कन्हैयालाल मिश्रा निवासी धवरेपार थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.10.2020 को वादी श्री नरेन्द्र कुमार ओझा पुत्र रामललित निवासी जयरामपट्टी की दुकान में घुसकर गाली गलौज करते हुए जानमाल की धमकी देते हुए मारपीट की गयी थी तथा मोटरसाइकिल को तोड़ दिया गया था जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 25.10.2020 को थाना महुली पर मु०अ०सं० 336/2020 पंजीकृत कराया गया था तथा दिनांक 08.12.2020 को अभियुक्त द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादी कमलेश ओझा पुत्र रामकवल निवासी जयरामपट्टी थाना महुली के घर में घुसकर मारपीट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 09.12.2020 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त दोनों अपराधों की गंभीरता को देखते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा

तत्परता दिखाते हुए आज दिनांक 05.01.2021 को उक्त अभियुक्त सुशील मिश्रा पुत्र कन्हैयालाल मिश्रा निवासी धवरेपार थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह, हे0का0 चन्द्रशेखर मणि, का0 शिवजी चौरसिया।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10-10-10 लीटर (कुल 30 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त नाम पता 1 – राकेश पुत्र भुल्लर निवासी सईलंगडी 2- हीरालाल पुत्र रामराज निवासी सोनौरा 3-प्रेमनाथ पुत्र श्रीराम निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 4/21, 5/21 व 6/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा जमीनी विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 03003 से कालर ने जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद की सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 दिनेश प्रसाद, आ0 दीपक कुमार, हो0चा0 भीम कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 126 वाहनो से 110500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 05.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 126 वाहनो से 110500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।